फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 43/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 11.08.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/557–58 दिनांक 27.07.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 11.03.2020 को व इस अनुभाग को 12.03.2020 को प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 05 के संबंध में कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा वांछित सूचना जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/660 दिनांक 17.03.2020 से उपलब्ध कराई गई जिसके कुल 02 पृष्ठ होने से नियमानुसार 02/– रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 02 पेज की कुल राशि 04/– रूपये कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/356 दिनांक 18.03.2020 से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया। इस कार्यालय के पत्र की पालना में प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना की राशि आज दिनांक तक जमा नही कराई गई इस कारण से सूचना उपलब्ध नही कराई गई। प्रार्थी अपीलार्थी नियमानुसार वांछित राशि जमा करादे तो वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना की राशि जमा नहीं कराई जाने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार वांछित राशि जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर